न्यायालयः— एल0डी0 सोलंकी, अपर सत्र न्यायाधीश, श्योपुर म.प्र.
(तारीख 23 जुलाई, 2025 को घोषित)

1.	**Registration No.**	**ST 70/2024**
2.	**Filing No.**	**ST 3840/2024**
3.	**CNR No.**	**MP3101-004255-2024**
4.	**Filing Date**	**09-08-2024**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर जिला श्योपुर श्रीमती बबीता होरा शर्मा के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 675/2024 (पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर तहसील श्योपुर जिला श्योपुर के अपराध क्रमांक 222/2024 अंतर्गत धारा 302,201 भा0द0वि0) मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध दीपक पचौरी में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 06.08.2024 से उदभूत सत्र प्रकरण

	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र कोतवाली, श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0	**अभियोगी**
	प्रतिनिधित्व द्वारा श्री राजेन्द्र जाधव विशेष लोक अभियोजक	
	:: विरूद्ध ::	
	दीपक पचौरी पुत्र भुवनेन्द्र पचौरी आयु—25 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी श्योपुर थाना कोतवाली श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0	**अभियुक्त**
	प्रतिनिधित्व द्वारा श्री फुरकान अधिवक्ता	

अपराध की तारीख	06.05.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	09.05.2024
आरोप पत्र की तारीख	14.08.2024
आरोपों के विरचना की तारीख	28.08.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	27.09.2024

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	18.07.2025
निर्णय की तारीख	23.07.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दण्डादेश दिनांक 23.07.2025

अभियुक्त का विवरण

श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0स0 / 468 बीएनएसएस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	दीपक	09.05.24	–	भादवि की धारा 302 या 201	**दण्डादेश**	**धारा 302 भादवि के अंतर्गत मृत्युदण्ड एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि के अंतर्गत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड**	दिनांक 09.05.24 से दिनांक 23.07.2025

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	संजय दत्त शर्मा	दस्तयाबी, जप्ती, मेमोरेण्डम, नक्शा मौका का साक्षी
2.	रामबाबू शर्मा	घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुँचने वाला साक्षी
3.	राजकुमारी शर्मा	शिनाख्ती पंचनामा पी–15 की साक्षी
4.	पुरूषोत्तम राठौर,	मृतिका के मकान में निवासरत साक्षी
5.	गिर्राज शुक्ला	मृतिका का भाई
6.	अशोक शुक्ला	मृतिका का भाई
7.	सुनील दत्त शर्मा	मृतिका का भतीजा
8.	अर्जुन सिंह भदौरिया, तहसीलदार	शिनाख्ती करवाने वाला साक्षी
9.	आशीष गर्ग	प्रकरण का अनुश्रुत साक्षी
10.	अरविन्द भदौरिया, सउनि	गुमशुदगी एवं आर्टिकल की जप्ती का साक्षी

11.	डॉ0 संजय कुमार मंगल	शव परीक्षण रिपोर्ट का साक्षी
12.	कमलेन्द्र सिंह कुशवाह, उपनिरीक्षक	शव पहचान कार्यवाही, दस्तयाबी पंचनामा, शवपरीक्षण आवेदन, जप्ती पंचनामा, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने वाला साक्षी
13.	विकास सोनी	सोने चांदी के जेवरात की तौल करने वाला साक्षी
14.	श्रीमती मनीषा मिश्रा, तहसीलदार	शव निकालने का पंचनामा बनाने वाला साक्षी
15.	सुभाष वाल्मीक, सफाई कर्मचारी	शव निकालने वाला साक्षी
16.	निरीक्षक योगेन्द्र सिंह जादौन	विवेचक

प्रतिरक्षा साक्षी की सूची

श्रेणी	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	निरंक	निरंक

न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	साक्षियों का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	निरंक	निरंक

अभियोजन प्रदर्शो की सूची

स0क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–01/अ0सा0–01	शव निकालने का पंचनामा
2.	प्रदर्श पी–02/अ0सा0–01	पहचान पंचनामा
3.	प्रदर्श पी–03/अ0सा0–01	दस्तयाबी पंचनामा
4.	प्रदर्श पी–04/अ0सा0–01	सफीना फार्म
5.	प्रदर्श पी–05/अ0सा0–01	नक्शा पंचायतनामा
6.	प्रदर्श पी–06/अ0सा0–01	गिरफतारी पंचनामा
7.	प्रदर्श पी–07 व 08/अ0सा0–01	मेमोरेण्डम
8.	प्रदर्श पी–09, 10, 11/अ0सा0–01	जप्ती पत्रक
9.	प्रदर्श पी–12, 13/अ0सा0–01	नक्शा मौका

10.	प्रदर्श पी–14 / अ0सा0–01	धारा 164 दप्रस साक्षी महेश दत्त
11.	प्रदर्श पी–15 / अ0सा0–03	शिनाख्ती मेमो
12.	प्रदर्श पी–16 / अ0सा0–10	गुमशुदगी
13.	प्रदर्श पी–17 / अ0सा0–10	जप्ती पत्रक
14.	प्रदर्श पी–18 / अ0सा0–11	पीएम रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी–19 / अ0सा0–11	क्वेरी आवेदन
16.	प्रदर्श पी–20 / अ0सा0–12	शव निकलवाने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति हेतु आवेदन
17.	प्रदर्श पी–21 / अ0सा0–12	अप्राकृतिक मृत्यु पंजीयन
18.	प्रदर्श पी–22 / अ0सा0–12	प्रथम सूचना रिपोर्ट
19.	प्रदर्श पी–23 / अ0सा0–12	प्रथम सूचना प्रतिपर्ण
20.	प्रदर्श पी–24 / अ0सा0–13	सोने चांदी के जेवरात का टंच प्रमाणपत्र
21.	प्रदर्श पी–25 / अ0सा0–16	जेवरात टंच कराने का नोटिस
22.	प्रदर्श पी–26 / अ0सा0–16	नजरी नक्शा का पटवारी को दिया गया पत्र
23.	प्रदर्श पी–27 / अ0सा0–16	नजरी नक्शा
24.	प्रदर्श पी–28 / अ0सा0–16	एफएसएल ड्राफट
25.	प्रदर्श पी–29, 30 / अ0सा0–16	एफएसएल रिपोर्ट
26.	प्रदर्श पी–31 से 34 / अ0सा0–16	बैंकों को मृतिका के खाते से संबंधित जानकारी के संबंध में दिया गया पत्र
27.	प्रदर्श पी–36 / अ0सा0–16	शिनाख्ती हेतु एसडीएम को दिया गया पत्र
28.	प्रदर्श पी–37 / अ0सा0–16	शिनाख्ती हेतु तहसीलदार को दिया गया पत्र

प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची

स0क्र0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

न्यायालयीन प्रदर्श की सूची

स0क्र0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

आवश्यक वस्तुयें

स0क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
	पैरा–88 के अनुसार	पैरा–88 के अनुसार

01– आरोपी उपरोक्त दीपक पचौरी पर भादवि की धारा 302 तथा 201 के अपराध का आरोप इस प्रकार लगाया गया है कि आरोपी ने दिनांक 06.05.2024 को प्रातः 10:30 से 11:00 बजे के मध्य मृतिका उषादेवी पचौरी का घर रेलवे कॉलोनी श्योपुर अंतर्गत थाना कोतवाली श्योपुर पर उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र पचौरी को उसे जीने से धक्का मारकर उसके सिर में लोहे की रोड से वार कर तथा उसके गले में साडी का फंदा लगाकर साशय या जानते हुए मृत्यु कारित कर हत्या कारित की तथा आरोपी ने उक्त अवधि के मध्य यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र की हत्या का अपराध किया गया है, स्वयं को वैधदण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से उषादेवी के शव को उसके मकान के नीचे के नीचे बने बाथरूम में घर पर रखी सीमेन्ट,रेत, ईटों से चुनकर साक्ष्य का विलोपित किया।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि मृतिका उषादेवी के पति भुवनेन्द्र पचौरी जो फॉरेस्ट में नाकेदार के पद पर पदस्थ थे। मृतिका और भुवनेन्द्र के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अनाथ आश्रम से आरोपी को गोद लिया था। संजयदत्त शर्मा मृतिका का देवर हैं। रामबाबू शर्मा मृतिका का नंदोई है। राजकुमारी शर्मा मृतिका की ननद है। गिर्राज शुक्ला एवं अशोक शुक्ला मृतिका के भाई हैं। मृतिका उषादेवी आरोपी की माता थी।

03– प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.05.2024 को सूचनाकर्ता दीपक पचौरी द्वारा अपनी मॉ गुमशुदा उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र पचौरी का दिनांक 0605.2024 को समय 11:30 बजे अस्पताल श्योपुर जाने की कहकर जाना तथा लौट कर नहीं आने के संबंध में रिपोर्ट की गई, जिस पर से गुम इंसान कमांक 22/24 दिनांक 08.05.2024 दर्ज कर जॉच करने पर गुमशुदा उषादेवी पचौरी के लडका सूचनाकर्ता दीपक पचौरी से पूछताछ की गई तो वह बदल–बदल कर घटना बताने लगा, जिससे संदेह होने पर उससे पुनः पूछताछ करने पर दीपक पचौरी ने बताया कि उसे करीब बीस साल पहले उसकी मॉ उषादेवी एवं पिता भुवनेन्द्र पचौरी अनाथाश्रम ग्वालियर से गोद लेकर लाये। उसकी मॉ व पिता ने उसे अच्छे से पढाया लिखाया तथा पिता ने अपनी एफडी में उसे नोमीनेट बना रखा था। पिता की वर्ष 2021 में मृत्यु होने से पिता के नाम की एफडी का 16,85,000/– रूपये उसने निकाल लिया, जिनमें से उसे 14,00,000/– रूपये का शेयर मार्केट में घाटा हो गया तथा 2,85,000/– रूपये उसने खर्च कर लिये। उसके पास कोई रूपया नही बचा था। मॉ उषादेवी के बैंक खाता में 32 लाख रूपये जमा थे तथा उसमें भी वह नोमिनी था। मॉ उसे मांगने पर कोई रूपया पैसा नहीं देती थी तो दिनांक 06.05.2024 को समय करीब 10:30 बजे का होगा। उसकी मॉ नहाकर तुलसी के पेड पर पानी चढाने को जीना से चढ कर जा रही थी। वह उपर था तो उसने अपनी मॉ को आधे जीना से नीचे के लिए जोर से धक्का मार दिया, जिससे मॉ नीचे फर्श पर गिर गई और

उसका सिर फूट गया और मॉ नीचे फर्श पर गिर गई तथा सिर से खून निकलने लगा, तब मॉ जिन्दा थी तो उसने मॉ के सिर में लोहे की रॉड तीन चार बार मारी, फिर उनकी साडी से गले में अंटा डालकर गला दबा दिया, जिससे उसकी मॉ खत्म हो गई। उसके बाद उसने मॉ उषादेवी के सिर से लाल रंग के कपडे को बांधकर तथा उनकी साडी को उन्हीं के शरीर पर लपेट कर शव को जीना से नीचे बने बाथरूम में घर में रखी सीमेन्ट, रेत, ईटों से चुन दिया था।

04— फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 22/24 पंजीबद्ध कर जॉच की गई। जॉच में आरोपी द्वारा धक्का देकर गिराना, उसके बाद लोहे की रॉड से सिर में मारना तथा मृतिका की साडी से मृतिका का गला अंटा लगाकर दबाकर हत्या करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि का अपराध घटित किया जाना पाते हुए धारा 174 दप्रस के अंतर्गत अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण किया गया। जॉच के दौरान मेमोरेण्डम में आरोपी द्वारा जीना के नीचे सीमेन्ट, रेतं, ईंटों से चिने हुए उषादेवी के शव को कार्यपालन मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा निकलवाया गया। शव की पहचान के लिए सफीना फार्म जारी कर शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया। घटनास्थल से गढे हुए शव के नीचे की खून आलूदा मिटटा, सादा मिटटी तथा मृतिका के सिर से बंधा हुआ लाल कपडा, लोहे की रोड आदि को जप्त कर शव का पीएम कराया गया। शव परीक्षण में आरोपी की मृत्यु हेड इंन्ज्यूरी से होने से विसरा प्रिजर्व किया गया।

05— मर्ग जॉच पर से थाना कोतवाली, श्योपुर पर अपराध क्रमांक 222/2024 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार कर पूछताछ कर मेमोरेण्डम बनाया गया। आरोपी के कब्जे से मृतिका के सोने चांदी के जेवरात, 6240/— रूपये जप्त किये गये। सोने चांदी के जेवरात का टंच कराया गया। जेवरों की पहचान मृतिका की ननद राजकुमारी देवी से करवाई गई। मृतिका उषादेवी के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 00000040402818636 एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 2054230618, 5319324076, 5410916689, 5361061239 की जानकारी प्राप्त की गई तो सेन्ट्रल बैंक खाता क्रमांक 2054230618 को छोडकर सभी खातों में दीपक पचौरी नॉमिनी होना पाया गया तथा उक्त सभी खातों में करीब 32,54,000/— रूपये की राशि जमा होना पाई गई। उक्त खातों को सीज किया गया। आरोपी और उसकी मृतिका मॉ के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो दोनों की उपहस्थति घटनास्थल पर पाई गई। मृतिका द्वारा उपयोग वाला मोबाईल नम्बर 9753202462 एवं 7611192629, 9109258683 मृतिका के पति भुवनेन्द्र पचौरी के नाम तथा मोबाईल नम्बर 7611192629, 9109258683 आरोपी दीपक पचौरी के नाम होना पाये गये। मृतिका के पडौसी रघुराज सिंह गुर्जर, मुनब्बर खॉन निवासी रेलवे कॉलोनी से पूछताछ एवं कथनों में आरोपी दीपक अपनी मॉ उषादेवी से रूपयों को लेकर झगडता था तथा दोनों आपस में झगडा फंसाद करते थे।

06— दौराने विवेचना में कथन गवाहान नक्शा मौका, जप्ती पत्रक, मेमोरेण्डम आदि सम्पूर्ण विवेचना से साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302,201 भादवि का

सिद्ध पाये जाने से चालान क्रमांक 252/24 दिनांक 23.07.2024 को कता किया जाकर अभियोगपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर के न्यायालय में दिनांक 03.08.2024 को प्रस्तुत किया गया, जहॉ से दिनांक 05.08.2024 को उपार्पण उपरांत यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर के न्यायालय से अंतरित होकर दिनांक 14.08.2024 को इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

07— निर्णय की कंडिका—1 में उल्लेखित अपराध के आरोप दिनांक 28.08.2024 को इस न्यायालय के द्वारा आरोपी को विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा, प्ली रिकार्ड की गई। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

08— अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

09— प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं —

प्रथम— क्या मृतिका उषादेवी की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी ?

द्वितीय— क्या आरोपी ने दिनांक 06.05.2024 को प्रातः 10:30 से 11:00 बजे के मध्य मृतिका उषादेवी पचौरी का घर रेलवे कॉलोनी श्योपुर अंतर्गत थाना कोतवाली श्योपुर पर उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र पचौरी को उसे जीने से धक्का मारकर उसके सिर में लोहे की रोड से वार कर तथा उसके गले में साडी का फंदा लगाकर साशय या जानते हुए मृत्यु कारित कर हत्या कारित की ?

तृतीय— क्या आरोपी ने उक्त अवधि के मध्य यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र की हत्या का अपराध किया गया है, स्वयं को वैधदण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से उषादेवी के शव को उसके मकान के नीचे के नीचे बने बाथरूम में घर पर रखी सीमेन्ट,रेत, ईटों से चुनकर साक्ष्य का विलोप किया ?

<u>//सकारण विवेचन एवं निष्कर्ष//</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1</u>

10— इस मामले में उभयपक्ष की ओर से आई हुई साक्ष्य के विवेचन के पूर्व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से रखे गये तर्क का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11— राज्य एवं अभियेाजन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक द्वारा यह तर्क रखा गया है कि आरोपी द्वारा अपनी माता को धक्का देकर उसके सिर पर रॉड से

प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित की है तथा माता की लाश को बाथरूम में ईट, सीमेन्ट से चुनकर जघन्य अपराध किये जाने की स्थितियॉ विधिवत् प्रमाणित की गई हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को आरोपित अपराध में अधिक से अधिक दण्ड से दंडित किया जावे।

12— दूसरी ओर आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य साक्ष्य दोनों ही आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होने का तर्क रखते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का पात्र बताया है।

13— न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से रखे गये उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के रिकार्ड पर आई हुई समग्र मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। सुने तर्क पर मनन किया गया।

14— इस मामले में सर्वप्रथम मृतिका उषादेवी की मृत्यु की प्रकृति के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध उसके शव का परीक्षण करने वाले चिकित्सीय साक्षी डॉ0 संजय कुमार मेडीकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय श्योपुर की स्थिति के आधार पर व दी गई पी0एम0रिपोर्ट प्रदर्श पी—18 में दर्शित स्थितियों के आधार पर विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15— इस संबंध में उक्त चिकित्सीय साक्षी डॉ0 संजय कुमार मंगल अ0सा0—11 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.05.2024 को जिला चिकित्सालय श्योपुर में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को पैनल जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव सर्जरी विशेषज्ञ, महिला चिकित्सा अधिकारी शिवांगीसिंह के द्वारा मृतिका श्रीमति उषा देवी पत्नी भूवनेंद्र पचौरी, उम्र 65 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी श्योपुर के शव का परीक्षण करने के लिए प्रधान आरक्षक आशुतोष शर्मा पुलिस थाना कोतवाली द्वारा लेकर उपस्थित होने पर पैनल द्वारा मृतिका का शव परीक्षण किया था। मृतिका के शव की पहचान गिर्राज एवं संजयदत्त शर्मा द्वारा की गई थी।

16— साक्षी डॉ0 संजय कुमार मंगल ने कथन किया है कि बाह्य परीक्षण करने पर पाया कि एक मृत महिला का शव पीएम टेबल पर चित लेटा हुआ था जिसके शरीर पर थोड़ी मिटटी व सीमेंट जैसा पदार्थ लगा हुआ था। उसके शरीर में प्यूटरी फिकेशन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसकी चमडी अपनी जगह से हटी(पीलिंग) हुई थी। उसने नीले कलर की साड़ी, ब्लू कलर का ब्लाउज व लाल रंग का पेटीकोट पहने हुये थे एवं उसके हाथ में लाल नीले रंग की चुडी थी एवं हाथ में अंगूठी थी। महिला दिखने में बुजुर्ग लग रही थी। शरीर से मृत्यु उपरांत की दुर्गंध आ रही थी। उसके शरीर में मृत्यु पश्चात् की अकडन थी जो धीरे धीरे कम हो रही थी।

17— साक्षी डॉ0 संजय कुमार मंगल ने कथन किया है कि मृतिका के शरीर पर निम्न चोटें पाई थीः—

01. दायें हाथ की कलाई की हडडी टूटी हुई थी।
02. सिर में 2.5X0.5 सेंमी आकार का फटा हुआ घाव, जिसमें रक्त उपस्थित था व उसमें सिर की हडडी दिखाई दे रही थी। घाव अंदर की ओर दबा हुआ था।
03. नाक की हड्डी टूटी थी।
04. दांयी आंख के उपरी और नीचे के पलक में नीलगू था।
05. दांयी आंख के बगल में 2.5 सेंमी आकार का एक फटा हुआ घाव था।
06. दांये कान पर छिला हुआ घाव था।
07. जबडे के दांयी ओर छिला हुआ घाव था।
08. एक फटा हुआ घाव सिर में दांयी ओर आकार 06X 01 सेंमी का था।
09. एक फटा हुआ घाव सिर में दांयी ओर पैराइटोऑक्सीपीटल भाग पर आकार 06X01 सेंमी का जिसमें हडडी में भी चोट थी।
10. दो फटे हुये घाव इसी चोट के पास जिनका आकार 8.5X1.5 सेंमी एवं 03X0.5 सेंमी के थे जिसमें हडडी दिखाई दे रही थी। उक्त शव का मुंह खुला हुआ था एवं आंखें बंद थी।

18— साक्षी डॉ0 संजय कुमार मंगल ने कथन किया है कि आंतरिक परीक्षण करने पर कपाल/सिर में दांयी ओर एक हीमोटोमा(खून का थक्का) जिसका आकार 10X08 सेंमी, सिर की चमडी और हडडी के बीच में फ्रिंटल टैम्पोरल भाग पर था। इस हडडी में भी अस्थिभंग था, एक हीमोटोमा जिसका आकार 03X02 सेंमी आकार का, ऑक्सीपीटल भाग में, मस्तिष्क की झिल्ली एवं मस्तिष्क के कुछ भाग में भी चोट के निशान थे। छाती में बाहरी कोई चोट नहीं थी। फेंफड़ों के अंदर लाल रंग का रक्त हवा के बुलबुलों के साथ मौजूद था। हृदय में रक्त नहीं था। .पेट के अंदर प्यूटरीफिकेशन के लक्षण थे। हरे रंग का पदार्थ था। आंतों में मल व गैस थी। लीवर में भी प्यूटरीफिकेशन के लक्षण थे, गुर्दे में भी प्यूटरीफिकेशन के लक्षण में थे। तिल्ली फटी हुई थी जिसके पास थोडा रक्त जमा था। इन अंगों के रासायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित कर संबंधित को सुपुर्द किया था।

19— साक्षी डॉ0 संजय कुमार मंगल ने कथन किया है कि उनकी राय में मृतिका उषादेवी की मृत्यु का कारण मृत्यु का प्रकार कोमा, मृत्यु का कारण सिर में चोटें व तिल्ली का फटा पाया जाना था। उक्त शरीर के शव की चोटें मृत्यु पूर्व की होकर सख्त एवं भौथरी वस्तु से शव परीक्षण से 48 घण्टे से लगाकर 05 दिन के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी 18 होकर शव परीक्षण रिपोर्ट 06 पृष्ठों में है। मृतिका उषोदवी की चोटों के संबंध में थाना कोतवाली से क्वेरी के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था क्वेरी के संबंध में रिपोर्ट दी है। उसके द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि मृतिका का जितनी चोटें आई व स्वयं द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती एवं सिर की चोट किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई है। उक्त क्वेरी रिपोर्ट प्रपी 19 है।

20— साक्षी संजय दत्त शर्मा अ0सा0—01 ने प्रदर्श पी—01 शव खुदवाने का पंचनामा अपने समक्ष बनाया जाना स्वीकार किया। शव की पहचान की, जिसका पंचनामा

प्रदर्श पी–02, दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श पी–03 स्वीकार किया। साक्षी रामबाबू शर्मा अ0सा0–02 ने भी अपने कथन के चरण–7 में स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति में शव को निकाला गया था। साक्षी पुरूषोत्तम अ0सा0–04 ने भी अपने कथन के चरण–4 में स्वीकार किया कि आरोपी ने बताया था कि उसने उषाबाई को मारा, बाद में पता चला कि आरोपी ने उषाबाई को मारकर जीने के नीचे दफन किया है। गिर्राज अ0सा0–05 ने भी अपने कथन के चरण–3 में बताया कि बाथरूम खुदवाकर उसकी बहन का शव निकलवाया था। उसने शव की पहचान की थी। शव को दस्तयाब किया था। सफीना फार्म तैयार किया गया था। साक्षी अशोक कुमार ने भी अपने कथन के चरण–2 में स्वीकार किया कि बाथरूम खुदवाकर उसकी बहन का शव निकलवाया था। साक्षी सुनीलदत्त शर्मा ने भी अपने कथन के चरण–2 में स्वीकार किया कि बाथरूम में से पुलिस ने लाश को खुदवाकर निकलवाया था। साक्षी कमलेन्द्र सिंह अ0सा0–12 में भी अपने कथन के चरण–1,2,3 में बताया कि उसने शव को निकलवाया था। पहचान की कार्यवाही करवाई, दस्तयाबी पंचनामा बनाया। सफीना फार्म तैयार किया और पीएम के लिए शव परीक्षण आवेदन तैयार किया। साक्षी मनीषा मिश्रा अ0सा0–14 ने अपने कथन के चरण–1 में बताया कि उसने मजदूरों की सहायता से शव को निकलवाया था, जिसका पंचनामा पी–01 बनाया। उपरोक्त साक्षियों के कथन से निष्कर्ष निकलता है कि मृतिका की मृत्यु होने के पश्चात उसे बाथरूम में ईंट सीमेन्ट से चुना गया था, जिसे खोदकर शव को निकाला गया।

21– चिकित्सक डॉ0 संजय कुमार मंगल से प्रदर्श पी–19 की क्वेरी करवाई गई, क्वेरी में बी से बी भाग पर जवाब में लेख किया गया कि मृतिका उषादेवी पत्नी भुवनेन्द्र पचौरी उम्र 65 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी श्योपुर का मृत्यु का कारण सिर पर विभिन्न–विभिन्न दिशाओं से अलग अलग आकार की चोटों का आना है, जो कि यह दर्शाता है कि यह चोटें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। चिकित्सक द्वारा क्वेरी का जो जवाब दिया गया, उसके अनुसार मृतिका उषादेवी के सिर में अन्य व्यक्ति द्वारा अलग–अलग प्रकार की विभिन्न–विभिन्न दिशाओं से सिर में चोटे पहुॅचाई गई, उसके कारण मृतिका उषादेवी की मृत्यु हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में भी चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण चोटें मृत्यु पूर्व की सख्त एवं भौथरी वस्तु से आई थी, जिसके कारण सिर की चोटें और तिल्ली के फटने से मृतिका की मृत्यु हुई थी। शव के बाहरी परीक्षण में मृतिका को दस चोटें आई थीं, आंतरिक परीक्षण में कपाल में तीन चोटें थीं।

22– मृतिका का विसरा जॉच के लिए भेजा गया। जप्तशुदा वस्तुओं का परीक्षण करवाया गया। प्रदर्श पी–29 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श ''एल'' कॉटन स्वाप पर मानव खून पाया गया, शेष स्टील की रॉड, टीशर्ट, लोअर, मिट्टी, साडी, सेण्डल, दीवार की खुरचन पर खून के धब्बे विघटित होना बताये गये। प्रदर्श पी–30 के परीक्षण रिपोर्ट में मृतिका के विसरा में कोई विष के लक्षण नहीं थे। चिकित्सक द्वारा किये गये शव परीक्षण, क्वेरी का जवाब और साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की होकर सिर में आई चोटों के कारण हुई थी। मृतिका उषादेवी की मृत्यु मानववध स्वरूप की थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 व 03

23– **अब न्यायालय को इस बिन्दु पर विचार करना है कि क्या मृतक की घटना दिनांक को होमीसायडिल अर्थात् हत्यात्मक मृत्यु इस मामले के आरोपी के द्वारा कारित की गई है और क्या इस तथ्य को अभियोजन द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उक्त आरोपी के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित किया गया है ?**

24– साक्षी संजय दत्त शर्मा अ0सा0–01 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह आरोपी दीपक पचौरी को जानता है। वह मृतिका उषादेवी को जानता है, जो चाची थी। दिनांक 06.05.2024 से 08.05.2024 के बीच की रेलवे स्टेशन के पास विजय सिंह राठौर वकील साहब के मकान के पास की है। उसकी चाची अपने मकान में रहती थी। उस मकान में एक किरायेदार पुरूषोत्तम राठौर रहता था और उनका लडका आरोपी दीपक रहता था। चाचाजी की वर्ष 2021 में मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 06.05.2024 को रात्रि के दस बजे उसके घर पर आशीष गर्ग एवं पुरूषोत्तम राठौर उसके घर पर आये तो उन्होंने कहा कि अम्मा/चाची उषादेवी सुबह दस ग्यारह बजे से गायब हैं। फिर उसने चाची के छोटे भाई गिर्राज शुक्ला एवं चाची के सामने रहने वाले फूफाजी रामबाबू शर्मा को फोन लगाया तो वह और उसका बडा भाई सुनील दत्त शर्मा उन चारों चाची के मकान पर रात्रि साढे दस बजे पहुॅचे। तो वहॉ पर दीपक अकेला था। किचन और दोनों कमरों के ताले लगे थे। फूफाजी ने दीपक से पूछा कि अगर सुबह से चाची गायब हैं तो इसकी सूचना हमें क्यों नहीं दी। तो फूफाजी ने कहा कि चाची की गुमशुदगी की सूचना पुलिस कोतवाली को दी जाये। तो सूचना देने के लिए थाना कोतवाली पर दीपक ही गया।

25– साक्षी संजयदत्त शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी ने घर आकर बताया कि पुलिस वालों ने उसकी चाची को रेलवे स्टेशन के शंकर जी के मंदिर पर देखा है। दिनांक 07.05.2024 को लोकसभा का चुनाव था, इस कारण पुलिस फोर्स एवं अन्य लोग भी व्यस्त थे। फिर उसने उषादेवी के बडे भाई अशोक शुक्ला जो ग्वालियर में सर्विस करते है उन्हें फोन से सूचना कर दी कि आप 08 तारीख को रामबाबू शर्मा जी के घर पर आ जाना। फिर 08.05.2024 को वह, उसका बडा भाई सुनील दत्त, फूफाजी रामबाबू शर्मा और चाची के भाई अशोक शुक्ला, आरोपी दीपक थाना कोतवाली श्योपुर में पहुॅचे। वहॉ पर चाची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक पुलिस को बार–बार बदल–बदलकर घटना बता रहा था। पुलिस ने दीपक को उसे दिनांक 08.05.24 को सुपुर्दगी पर दिया था और कहा था कि शाम को चाचीजी के मकान पर छह बजे शाम को आयेगे। शाम को छह बजे एक दीवान जी चाचीजी के घर पर आये। तो उन्होने चाची के मकान की सर्चिंग जारी की। उस समय वह, उसके फूफाजी, रामबाबू शर्मा, आरोपी दीपक और अन्य मोहल्ले के व्यक्ति थे। पुलिस द्वारा चाची के मकान की सर्चिंग करने के समय चाची के जीने के नीचे एक बाथरूम था, जहॉ पुलिस पहॅुची। उस बाथरूम में कवाडा भरा था। पुलिस ने उक्त कबाडा बाथरूम से हटाया। बाथरूम में सिलन आ रही थी।

दीवान जी ने दीपक से पूछा कि यह बाथरूम बंद है तो इसमें सीलन कहॉ से आ रही है। दीवान जी ने दीपक के चांटा मारा और पूछताछ की तो की गई घटना के बारे में बताया।

26— साक्षी संजयदत्त शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दीपक ने पुलिस को बताया कि दिनांक 06.05.24 को चाची तुलसी मैया में पानी देने के लिए छत पर जा रही थी। दीपक छत से सीढी तरफ नीचे आ रहा था। तो आरोपी दीपक ने आधी सीडियों से चाची को धक्का मार दिया, जिससे चाची फर्श पर सिल के बल गिर पडी। दीपक के पास लोहे की रोड से चाची के सिर पर सामने की तरफ चार—पॉच वार किये। उसके बाद दीपक ने चाची की लाल साडी से गला दबा दिया था और घसीटकर बाथरूम में चाची को जमीन के नीचे ईट से चुनकर दबा दिया था।

27— साक्षी संजयदत्त शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 08.05.24 को चाची की लाश बाथरूम के नीचे दबी होने की सूचना दीवानजी ने वरिष्ठ अधिकारियों को की। उसके बाद वहॉ पर पुलिस आ गई। पुलिस फिर दीपक को 08.05.24 को अपने पूछताछ के लिए थाने ले गई तथा चाची जी के मकान का एक कमरा जिसमें किरायेदार पुरूषोत्तम राठौर रहता था, उसे छोडकर सील्ड कर दिया। दिनांक 09.05.24 को सुबह दस बजे पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया और अन्य लोगों को भी बुलाया। फिर पुलिस थाने से दीपक को लेकर चाची के घर पर पर आये। वह और अन्य लोग बाद में चाची के घर पर पहुॅचे। मौके पर तहसीलदार मेडम आ गई और दीपक के बताये स्थान पर तहसीलदार मेडम की उपस्थिति में दीपक ने अपनी मॉ को जिस स्थान पर दबाया था, उस स्थान को पुलिस ने खुदवाया। खुदवाने पर चाची की लाश को पुलिस ने घटनास्थल से बाहर निकाला, पंचनामा प्रदर्श पी—01 बनाया। चाची के शव की पहचान उसके द्वारा की गई, जिसका पंचनामा पी—02 है, दस्तयाबी पंचनामा पी—03 तैयार किया था।

28— साक्षी संजयदत्त शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि फिर तहसीलदार मेडम ने आरोपी दीपक से पूछताछ की और मौके की कार्यवाही का वीडियो भी तैयार किया। फिर चाची के शव का शव परीक्षण कराने के लिए सफीना फार्म प्रदर्श पी—04 तैयार किया, लाश पंचायत नामा प्रदर्श पी—05 तैयार किया। उसने पीएम हाउस में चाची के शव की पहचान की थी। पीएम होने के बाद चाची के शव को सुपुर्द किया था। आरोपी को उसके सामने गिरफतार कर पंचनामा प्रदर्श पी—06 बनाया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया था कि चाचा ने चौदह लाख की एफडी की थी, जिसके सोलह लाख पिच्चासी हजार रूपये हुये थे। उस पैसे में से चोदह लाख रूपये को आरोपी ने निकालकर सटटे में लगाया, जिसमें वह हार गया था, शेष राशि खर्च कर दी थी। चाची के पास तीस बत्तीस लाख रूपये की एफडी थी, उसे लेने के लिए आरोपी विवाद करता था। आरोपी ने पैसे लेने के लिए चाची की हत्या की थी तथा घटना के वक्त लोअर, टीशर्ट पहने थी, उसे लेट्रिन में छिपाया था, जिस रॉड से मारा था, वह भी लेट्रिन में छिपाई थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—07 व 08 है। आरोपी के सेण्डल पर खून लगा था, वह सेण्डल आंगन से और आरोपी के लोअर टीशर्ट, जो डोरी पर टंगे थे, लोहे की रॉड लेट्रिन में रखी थी, पंचनामा

प्रदर्श पी–09 व 10 है। आरोपी से मेरी चाची के झुमकी, अंगूठी, जिनमें दो लेडिज, एक जेन्टस, टॉप्स एक जोडी, एक जोडी चैन, दो लोंग, एक नसेनी, एक नथ सोने की, चार चांदी के सिक्के, दो जोडी पायजेब चांदी की, तुलसी की माला चांदी की, मोती की माला चांदी की, धातु की एक नथ चांदी की, चांदी की बिछिया जप्त की थी, आरोपी से कुल 6240/– रूपये जप्त किये थे, जिनमें पॉच सौ, दो सौ, पचास, बीस, सौ, दस के नोट जप्त किये थे, जिसका पंचनामा पी–11 बनाया। घटनास्थल पर पुलिस आई उसकी निशादेही से नक्शा मौका पी–12 व 13 बनाया। पुलिस ने उसके धारा 164 दप्रस के कथन अंकित करवाये, जो प्रदर्श पी–14 है। आवश्यक वस्तु ए–1 सोने की झुमकी एक जोड़ी, ए–2 सोने की तीन अंगूठी दो लेडिज एवं एक जेन्टस, ए–3 सोने के टॉप्स एक जोड़ी, ए–4, सोने की एक चेन, ए–5 सोने के दो लोंग, ए–6 सोने की एक नशेनी, ए–7 सोने की एक नथ, आवश्यक वस्तु बी–1, चार सिक्के बी–2 पायजेब दो जोड़ी, बी–3 तुलसी की माला एक, बी–4 मूर्ति माता की, बी–5 एक पाथरी, बी–6 –चांदी की बिछिया। उक्त वस्तुओं मृतिका उषा की थी, जो उसने उषादेवी के पास देखी थी, इसलिए पहचानती है।

29– रामबाबू शर्मा अ0सा0–02 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी दीपक पचौरी को जानता है। तथा वह मृतिका उषादेवी को जानता है, जो उसके साले की पत्नी थी। दिनांक 06.05.2024 से 08.05.2024 के बीच की रेलवे स्टेशन के पास विजय सिंह राठौर वकील साहब के मकान के पास की है। उसकी साले की पत्नी अपने मकान में अपने लडके दीपक के साथ रहती थी। उस मकान में एक किरायेदार पुरूषोत्तम राठौर रहता था। उसके साले की पत्नी उषादेवी की वर्ष 2021 में मृत्यु हो चुकी है। मृतिका के पति भुवनेन्द्र पचौरी फॉरेस्ट में नाकेदार थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे तो उसके साले और सरहेज ने अनाथ आश्रम से आरोपी दीपक को गोद लिया था। दिनांक 06.05.2024 को रात्रि के दस बजे उसके घर पर आशीष गर्ग एवं पुरूषोत्तम राठौर आये तो उन्होंने कहा कि उषादेवी सुबह दस ग्यारह बजे से गायब हैं। फिर सरहेज के छोटे भाई गिर्राज शुक्ला जी एवं उसे फोन लगाया तो वह, बडे साले का लडका सुनील दत्त शर्मा एवं उसका भाई संजय शर्मा चारों सरहेज के मकान पर रात्रि साढे दस बजे पहुॅचे। तो वहॉ पर दीपक अकेला था। किचन और दोनों कमरों के ताले लगे थे। उसने दीपक से पूछा कि अगर सुबह से सरहेज गायब हैं तो इसकी सूचना हमें क्यों नहीं दी तो आरोपी ने कहा कि वह सुबह पूजा करने की कहकर गई हैं, लेकिन लौटी नहीं है। सरहेज की गुमशुदगी की सूचना पुलिस कोतवाली को दी जाये तो सूचना देने के लिए थाना कोतवाली पर दीपक ही गया।

30– रामबाबू शर्मा अ0सा0–02 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी ने घर आकर बताया कि पुलिस वालों ने उसकी सरहेज को रेलवे स्टेशन के शंकर जी के मंदिर पर देखा है। दिनांक 07.05.2024 को लोकसभा का चुनाव था, इस कारण पुलिस फोर्स एवं अन्य लोग भी व्यस्त थे। फिर उसने उषादेवी के बडे भाई अशोक शुक्ला जो ग्वालियर में सर्विस करते है उन्हें फोन से सूचना देकर 08 तारीख को उसके घर पर आने के लिए कहा था। फिर 08.05.2024 को संजय, सुनील दत्त, वह और सरहेज के भाई अशोक शुक्ला, आरोपी दीपक थाना कोतवाली श्योपुर में पहुॅचे। वहॉ पर सरहेज की गुमशुदगी की

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी सरहेज का मोबाइल भी दीपक के पास था। उसने मोबाईल और चाबी के बारे में पूछा था तो बताया था कि मोबाईल और चाबी छोडकर पूजा करने गई थी। पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक पुलिस को बार–बार बदल–बदलकर घटना बता रहा था।

31— रामबाबू शर्मा अ0सा0–02 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 08.05.2024 को पुलिस घटनास्थल पर आई थी। तो उन्होने सरहेज के मकान की सर्चिंग जारी की। उस समय वह, संजय, आरोपी दीपक और नरेन्द्र सिंह गुर्जर का लडका वीरेन्द्र था। उनके सामने सरहेज के मकान की सर्चिंग करने के समय सरहेज के जीने के नीचे एक बाथरूम था, जहॉ पुलिस पहुॅची। उस बाथरूम में कवाडा भरा था। पुलिस ने उक्त कबाडा बाथरूम से हटाया। बाथरूम में सीलन आ रही थी। दीवान जी ने दीपक से पूछा कि यह बाथरूम बंद है तो इसमें सीलन कहॉ से आ रही है। दीवान जी ने दीपक के चांटा मारा और पूछताछ की तो की गई घटना के बारे में बताया।

32— रामबाबू शर्मा अ0सा0–02 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दीपक ने पुलिस को बताया कि दिनांक 06.05.24 को सरहेज तुलसी मैया में पानी देने के लिए छत पर जा रही थी। दीपक छत से सीढी तरफ नीचे आ रहा था। तो आरोपी दीपक ने आधी सीडियों से चाची को धक्का मार दिया, जिससे सरहेज फर्श पर सिर के बल गिर पडी। दीपक के पास लोहे की रोड से चाची के सिर पर सामने की तरफ चार–पॉच वार किये। उसके बाद दीपक ने उसकी सरहेज की साडी से गला दबा दिया था और घसीटकर बाथरूम में सरहेज को जमीन के नीचे ईट से चुनकर दबा दिया था। सरहेज का पोस्टमार्टम कराकर उसका दाह संस्कार किया था। सरहेज की लाश को तहसीलदार मेडम की उपस्थिति में पुलिस ने निकाला था और उसकी लिखापढी मौके पर की थी। घटनास्थल से खून आलूदा मिटटी, चप्पल, लोहे की रॉड, टीशर्ट आदि जप्त की थी तथा अन्य लिखापढी भी की थी। उसकी सरहेज की हत्या आरोपी ने पैसों के लालच में की है। उसकी सरहेज (साले की पत्नी) के जेवरों की पहचान उसकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी द्वारा की गई थी। उसकी पत्नी उसके साले के गहने पहचानती थी, क्योंकि आती जाती थी।

33— साक्षी गिर्राज शुक्ला अ0सा0–05 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह आरोपी दीपक को जानता है। आरोपी दीपक पचौरी उसकी बहिन का लड़का है। घटना एक साल पहले दिनांक 06.05.2024 की है। घटना रेलवे स्टेशन के पास उसकी बहिन के मकान की है। उक्त दिनांक को वह डयूटी पर था और उसकी बहिन के नंदोई रामबाबू शर्मा द्वारा फोन किया कि भाभी घर पर नहीं है और वह मिल नहीं रही है। फिर मैं और संजयदत्त, सुनील दत्त रामबाबू के घर पर आये। फिर हम चारों लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिर वहां पर पहुंचे तो वहां पर किरायेदार पुरूषोत्तम और आरोपी मिला। फिर उसने दीपक से बहिन के बारे में पूछा तो उसने मंदिर पर पुजा करने गई है तब से नहीं आई है। फिर आसपास पूछताछ की, नहीं मिली तो आरोपी से कहा कि थाने पर जाकर रिपोर्ट कर आओ। फिर आरोपी ने कहा कि एकाद दिन देख लेते है फिर रिपोर्ट कर देंगे। फिर सब लोगों ने

आरोपी से कहा तो फिर उसने रात्रि में कोतवाली में जाकर रिपोर्ट लेख कराई। फिर रामबाबू शर्मा का फोन आया और बताया कि दीपक को पुलिस पकड़कर ले गई। रात्रि में संजयदत्त के जाने से पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। फिर पुलिस नौ तारीख को सुबह दीपक को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसने अपनी मम्मी को मार दिया। कारण यह बताया था कि मम्मी के नाम पर एफडी थी और वह वारिस था तो रूपये प्राप्त हो जायेंगे। यह भी बताया कि वह मम्मी से रूपये मांगता था और वह नहीं देती थी इस कारण मन मुटाव था।

34— साक्षी गिर्राज शुक्ला ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि आरोपी ने यह भी बताया कि मेरी मां उपर जल चढाने जा रही थी तो उसने उपर से जीने पर धक्का दे दिया जिससे उसकी मां फर्श पर गिर गई तब उसने मां को सिर में लोहे के सरिये से मारा था और फिर साडी से गले में फंदा लगाकर मार दिया था तथा बाथरूम के अंदर सीमेंट, ईंट से चुनकर गाढकर बराबर कर दिया। फिर पुलिस ने तहसीलदार मैडम को बुलाया। फिर मैडम ने आकर वीडियोग्राफी करवाई। फिर बाथरूम में से खुदवाकर बहिन का शव निकलवाया। यह सभी दीपक ने बताया था। पुलिस ने शव निकालने का पंचनामा पी—01 बनाया था। शव को निकाल कर पहचान करवाई थी जो उसकी बहिन का था, पहचान पंचनामा प्रपी 02 है। दस्तयाबी पंचनामा प्रपी 03 है।

35— साक्षी गिर्राज शुक्ला ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि पीएम करने के लिए सफीना फार्म पी—04 तैयार किया। लाश पंचायतनामा प्रपी 05 है। पोस्टमार्टम के समय उसने शव की पहचान की थी। पुलिस ने घटनास्थल से खून आलूदा मिटटी, सादा मिटटी, लाल रंग का कपडा, दो सेण्डल, दीवाल के प्लास्टर की मिटटी, दीवाल से खून को रूई पर लिया था जिसे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी 09 तैयार किया था। आरोपी दीपक ने लोहे रॉड, सफेद रंग की टीशर्ट एवं काले रंग का लोवर निकालकर पुलिस को दिया था जिसे उसके सामने पुलिस ने जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 10 तैयार किया था। दीपक से पुलिस ने सोने की झुमकी, तीन अंगुठी, सोने की लर, चांदी की पायलें, तोड़िया, 6240/—रू नगद आदि सामान जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 11 तैयार किया था।

36— साक्षी अशोक शुक्ला अ0सा0—06 ने अपने कथन में बताया कि वह आरोपी दीपक को जानता है। आरोपी दीपक पचौरी उसकी बहिन का लड़का है। घटना एक साल पहले दिनांक 06.05.2024 की है। घटना रेलवे स्टेशन के पास उसके बहिन के मकान की है। उक्त दिनांक को उसे आशीष गर्ग ने फोन किया कि अम्मा नहीं है। वह आठ तारीख को ग्वालियर से श्योपुर आया। उसने आरोपी दीपक से बात की। फिर वह आरोपी के साथ थाने पर गया। उसकी बहिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दीपक से दर्ज करवाई। जब वह वापस ग्वालियर जा रहा था तब रास्ते में सूचना मिली कि मेरी बहिन का शव घर के बाथरूम के अंदर से मिला है। पुलिस के समक्ष आरोपी ने यह भी बताया कि उसकी मां उपर जल चढाने जा रही थी तो उसने उपर से जीने पर धक्का दे दिया जिससे उसकी मां फर्स पर गिर गई तब उसने मां को सिर में लोहे के सरिये से मारा था और फिर साडी से गले में

फंदा लगाकर मार दिया था तथा बाथरूम के अंदर सीमेंट, ईंट से चुनकर गाढकर बराबर कर दिया। फिर बाथरूम में से खुदवाकर उसकी बहिन का शव निकलवाया। यह सभी दीपक ने बताया था।

37— साक्षी अशोक शुक्ला अ0सा0—06 ने अपने कथन में बताया कि पीएम करने के लिए सफीना फार्म प्रदर्श पी—04 तैयार किया। लाश पंचायतनामा प्रपी 05 है। दीपक से पुलिस ने सोने की झुमकी, तीन अंगुठी, सोने की लर, चांदी की पायलें, तोड़िया, 6240/—रू नगद आदि सामान जप्त किया था। उसके जीजाजी रिटायर्ड हुये थे जिसके रूपये आरोपी दीपक ने शेयर मार्केट में लगा दिये थे। उसकी बहिन से आरोपी दीपक रूपये मांगता था और वह नहीं देती थी इसी बात को लेकर दीपक ने हत्या की थी।

38— साक्षी सुनील दत्त शर्मा अ0सा0—07 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह आरोपी दीपक को जानता हूं। आरोपी दीपक उसकी चाची उषा का लडका है। उसके चाचा भूवनेंद्र पचौरी की मृत्यु हो चुकी है। वे वन विभाग में नौकरी करते थे। उसके चाचा चाची ने आरोपी को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसका नामकरण करवाया था। उसके चाचा को जो रूपये रिटायरमेन्ट के मिले थे उनकी मृत्यु के बाद आरोपी ने शेयर मार्केट में लगा दिये थे। इसी बात को लेकर उसकी चाची उषा और आरोपी का झगडा होता रहता था। फिर आरोपी बाहर चला गया था। बाद में वापस आया था। वह रूपये मांगता था जिसके कारण उसकी चाची और आरोपी में झगडा होता रहता था। चाची का किरायेदार ने बताया था कि चाची कहीं चली गई है। रिश्तेदारों के ढूंढने पर नहीं मिली। आठ तारीख को फिर वे लोग दीपक को लेकर थाने पर गये थे। दीपक ने चाची के गुमने की रिपोर्ट लिखाई थी। आठ तारीख को पुलिस के सामने आरोपी ने बताया था कि पानी लेकर मेरी चाची आ रही थी तो उसने धक्का दे दिया था तथा सरिये से सिर में मारा था और गर्दन में साडी लपेटकर फांसी लगाकर मार दिया था। बाथरूम में ले जाकर गाढ़ दिया था। बाथरूम में रेत और ईंटों से चुन दिया था। फिर पुलिस ने लाश को बाथरूम में से खुदवाकर निकलवाया था।

39— साक्षी पुरूषोत्तम राठौर अ0सा0—04 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह मृतिका उषा देवी को जानता है। वह उनके मकान में किराये से रहता है। सालभर पहले की घटना है। वह आरोपी दीपक पचौरी को पहचानता है। आरोपी दीपक उषा देवी से रूपये मांगता रहता था। उषा देवी ने आरोपी से कहा था कि उसने पैसे बहुत खर्च कर दिये है, उसके पास पैसे नहीं है। इसी बात पर से आरोपी उषा देवी से झगडा करता था। दीपक पचौरी ने अपने पिता की एफ0डी0 के 17 लाख रूपये सट्टे में लगा दिये थे। आरोपी दीपक की उषा मां थी। उषा देवी के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। दिनांक 05.05.2024 को उषा देवी और आरोपी के मध्य घर में झगडा हो रहा था। वह शाम के पांच बजे घर पर पहुंचा। उषा देवी ने उसे बताया कि दीपक ने अलमारी और घर के कमरे के ताले तोड दिये है। आरोपी और कोई नुकसान न कर दे इसलिए उसने उससे ग्राईन्डर छुडा लिया था। इसी बीच आरोपी से उषादेवी से हाथापाई करने लगा। फिर आरोपी ने धक्का

देकर गिरा दिया था। दूसरे दिन जब वह वापिस आया तो उषा देवी ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी है कि देख लेगा।

40— साक्षी पुरूषोत्तम राठौर अ0सा0—04 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह सुबह साढे आठ बजे आशीष गर्ग की दुकान पर कियोस्क सेंटर पर काम करने चला गया। जब वह शाम को साढे पांच बजे वापस आया तो उसने देखा कि फर्श गीला पडा था और बाथरूम के नल टूटे पडे थे। उसने आरोपी से कहा कि नल क्यों तोडा। आरोपी ने कहा कि नल से पानी गिर रहा था तो गुस्से में तोड दिया। फिर वह फ्रेश होकर दुकान पर चला गया। वह करीबन साढे आठ बजे घर पर वापस आया। उस दिन उषा बाई उसे देखने नहीं आई, जबकि रोज आती थी। फिर उसने आरोपी से पूछा कि उषाबाई कहां है तो आरोपी ने कहा कि उसे नहीं पता। वह अस्पताल गया था। उसने आरोपी से कहा कि अस्पताल का पर्चा दिखा। फिर आरोपी उसके पास पर्चा नहीं लाया। फिर उसने उषाबाई के रिश्तेदार रामबाबू शर्मा, संजय शर्मा, दुकान मालिक आशीष को भी बुलवाया कि और बताया कि उषाबाई नहीं मिल रही। फिर आरोपी के मामा को भी फोन लगाया था। संजयदत्त शर्मा और रामबाबू ने बोला कि चलो वे आते है। 06 तारीख को आरोपी से कहा कि उषा देवी की रिपोर्ट लिखा देते है। फिर आरोपी ने उषा बाई की गुमने की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। दूसरे दिन पुलिस के दरोगा जी उषाबाई के घर पर आये थे। उन्होंने मकान में छानबीन की। दरोगा जी ने पूछताछ की थी कि मकान में कोई काम चला है क्या तो उसने कहा कि नहीं चला। फिर दरोगा जी ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि हॉ, उसने उषाबाई को मारा है। बाद में पता चला कि आरोपी ने उषाबाई को मारकर जीने की नीचे दफन कर दिया था।

41— साक्षी आशीष गर्ग अ0सा0—09 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह मृतिका उषादेवी को भी जानता है। आरोपी उषादेवी का गोद लिया हुआ लडका था। पुरूषोत्तम राठौर उसके यहां काम करता है इसलिए वह उसे जानता है। वह उषा देवी के मकान में किराये से रहता था। वह पुरूषोत्तम के लेट होने पर उसे लेने और छोडने जाता था। वह सुनीलदत्त, संजयदत्त एवं रामबाबू को जानता है। घ टना दिनांक 06.05.2024 की है। उक्त दिनांक को उसने पुरूषोत्तम को साढे आठ बजे के लगभग दुकान से रवाना किया था। फिर उसके पास नौ साढे नौ बजे फोन आया कि उसके मकान मालिक उषा देवी सुबह साढे ग्यारह बजे से घर पर नहीं है ऐसा दीपक ने बताया है।

42— साक्षी आशीष गर्ग ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह पुरूषोत्तम के पास गया और दीपक से पूछा तो उसने बताया कि वह रोड की तरफ चली गई है और यह बताया कि वह अस्पताल चला गया था। हमने दीपक से दवाई का पर्चा मांगा तो उसने नहीं बताया। फिर दीपक से रिश्तेदार का पूछने पर उसने रामबाबू का नाम बताया तो फिर वह पुरूषोत्तम को लेकर रामबाबू के घर पर गये। वह अपने घर पर आ गया था। मुझे पुरूषोत्तम ने बताया था कि आरोपी के पिता के रूपये 17—18 लाख रूपये थे जिसे आरोपी ने किसी गेम में हार गया था और अपनी मां से पैसों के लिए झगडा करता था। उसे दो

दिन बाद पता चला कि दीपक ने अपनी मां को जीने से धक्का देकर, रॉड से मारकर बंद पडे बाथरूम में ईट, सीमेंट, पत्थर से चुन दिया।

43— साक्षी श्रीमती राजकुमारी शर्मा अ0सा0—03 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि एक साल पहले की घटना है। मृतिका उषा देवी उसकी भाभी थी उसके जेवर पहचानने के लिए उसे तहसील श्योपुर में बुलाया था जहां उसने सोने और चांदी के वस्तुओं की पहचान की थी। शिनाख्ती मेमो प्रपी 15 है। उसने उनकी सही पहचान की थी। आवश्यक वस्तु ए—1 सोने की झुमकी एक जोड़ी, ए—2 सोने की तीन अंगूठी दो लेडिज एवं एक जेन्टस, ए—3 सोने के टॉप्स एक जोड़ी, ए—4, सोने की एक चेन, ए—5 सोने के दो लोंग, ए—6 सोने की एक नशेनी, ए—7 सोने की एक नथ, आवश्यक वस्तु बी—1 चार सिक्के, बी—2 पायजेब दो जोड़ी, बी—3 तुलसी की माला एक, बी—4 मूर्ति माता की, बी—5 एक पाथरी, बी—6 —चांदी की बिछिया मृतिका उषा की थी, जो वह मृतिका उषादेवी के पास देखती थी।

44— साक्षी अर्जुन सिंह भदौरिया अ0सा0—08 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह दिनांक 19.06.2024 को तहसीलदार श्योपुर के पद पर पदस्थ था। पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर की ओर से जप्तशुदा सोने चांदी के जेवर शिनाख्ती के लिए उसके समक्ष पेश किये थे तो उसने मिलते जुलते चार—चार जेवर मंगवाये थे जिसकी पहचान श्रीमती राजकुमार पति रामबाबू शर्मा से करवाई थी, उसने सही पहचान की थी। शिनाख्ती मेमो प्रपी 15 उसके द्वारा बनाया गया था।

45— साक्षी श्रीमती मनीषा मिश्रा अ0सा0—14 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.05.2024 को नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील बडौदा में पदस्थ थी। उक्त दिनांक को उसे अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर द्वारा मौखिक रूप से रेल्वे कॉलोनी श्योपुर की गुमशुदा श्रीमती उषादेवी के शव को उसके घर से निकालने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर से वह मौके पर गई थी। आरोपी दीपक से मौके पर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जीने के नीचे बाथरूम में शव को ईंट, सीमेंट से चुन दिया है। दीपक द्वारा वह जगह बताई गई तो फिर उसने दो मजदूरों के सहायता से ईंट, सीमेंट से चुना हुआ शव निकलवाया था। उक्त शव आरोपी दीपक की मां उषादेवी का था। शव को निकालने का पंचनामा प्रपी 01 है।

46— साक्षी सुभाष वाल्मीक अ0सा0—15 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि सालभर पहले की घटना है। उसे पुलिस ने दिन में रेलवे कॉलोनी के मकान पर बुलाया था। उसके साथ दीपक था। जीने के नीचे बाथरूम था और बाथरूम के अंदर एक चबूतरा था। उक्त चबूतरा सीमेंट और ईंट से बना हुआ था। दीपक और उसने उक्त चबूतरे को खोदा था उसमें से एक महिला का शव निकला था। उस समय तहसीलदार मैडम और पुलिस एवं काफी भीड़ थी। शव के सिर में चोट का निशान था। शव के गले में साडी लिपडी हुई थी। पुलिस ने शव के संबंध में लिखापढी प्रदर्श पी—01 की थी।

47— साक्षी अरविन्द भदौरिया अ0सा0—10 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह दिनांक 08.05.2024 को पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर में सहायक उपनिरीक्षक/लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरोपी दीपक द्वारा अपनी मां उषादेवी गुमशुदगी होने के संबंध में सूचना दी थी जिस पर से उसने पुलिस थाना कोतवाली में गुमशुदगी क्रमांक 22/2024 पर दर्ज की थी, जो प्रपी 16 है। दिनांक 10.05.2024 को आशुतोष शर्मा द्वारा मृतिका उषादेवी के संबध में चार सीलबंद आर्टिकल जिला चिकित्सालय श्योपुर से प्राप्त होने पर जप्त कर पंचनामा प्रपी 17 बनाया था।

48— साक्षी कमलेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0—12 का कथन है कि दिनांक 09.05.2024 को पुलिस थाना कोतवाली श्योपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को गुमशुदा इंसान उषादेवी के घर में बाथरूम के अंदर मृतिका की लाश दबाने की सूचना प्राप्त होने पर इस संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार को पत्र प्रदर्श पी—20 लेख किया था। मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आने पर साक्षियों एवं परिवारजनों के सामने मृतिका के शव को निकाला गया, पंचनामा प्रपी 01 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया था। शव की पहचान की कार्यवाही उसके द्वारा की गई जिसका पंचनामा प्रपी 02 तैयार किया था। दस्तयाबी पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया था जो प्रपी 03 है। उसके द्वारा शव का सफीना फार्म प्रदर्श पी—04 तैयार किया था।

49— साक्षी कमलेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0—12 का कथन है कि उसके द्वारा शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—05 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी—18 तैयार किया था। उसके द्वारा आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर मौके पर उससे पूछताछ करने पर बताया कि उसने शव को बाथरूम में ईंट, सीमेंट से चुनकर दबा दिया है एवं लोहे की रॉड टाड़ पर एवं टी—शर्ट, लोवर को लेट्रिन में रखने की सूचना का मेमोरेण्डम प्रपी 07 उसके द्वारा बनाया था। घटनास्थल से खून आलूदा मिटटी, सादा मिटटी, लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग की दो सैंडल, दीवाल में खून लगे धब्बों को खुरचकर एवं दीवार पर लगे खून को रूई में लेकर सुरक्षित किया था। सभी वस्तुओं को साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी 09 तैयार किया था। आरोपी द्वारा बताये स्थाने से लोहे की रॉड, सफेद रंग की टीशर्ट, काले रंग का लोवर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी 10 तैयार किया था। वापस थाना आकर उसने थाने के मर्ग क्रमांक 16/2024 पर मर्ग प्रदश्न पी—21 पंजीबद्ध किया था। थाने के अपराध क्रमांक 222/2024 पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—22 लेखबद्ध की थी। प्रतिपर्ण रिपोर्ट प्रपी 23 है।

50— साक्षी विकास सोनी अ0सा0—13 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि सालभर पहले पुलिस कोतवाली श्योपुर से टीआई ने उसे बुलाया था। उसने सोने चांदी के जेवरात जो उषादेवी के थे उनको अपने तौलकांटे से तौल करके सूची बनाई थी, जो प्रपी 24 है। उसे सोने चांदी का व्यवसाय करते हुये दस वर्ष हो गये है। उसकी श्योपुर में प्रेम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है।

51— साक्षी योगेन्द्र सिंह जादौन अ0सा0—16 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.05.2024 को पुलिस थाना कोतवाली जिला श्योपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 222/2024 में आरोपी दीपक पचौरी से पूछताछ करने पर उसने साक्षियों के समक्ष उसकी मां उषादेवी का शव जीने के नीचे गाड़ना बताया तथा रॉड और पहने हुये लोअर, टीशर्ट लैट्रिन में छिपाकर रखना बताया, ताला तोड़कर जो उषादेवी के सोने चांदी के जेवरात थे, नगदी स्टील के डिब्बे में अलमारी में छिपाकर रखने की सूचना दी थी जिसका मेमोरेण्डम प्रपी 08 बनाया गया। आरोपी की निशादेही से मृतिका के घर से सोने और चांदी के जेवर कुल 13 नग एवं कुल रूपये 6240/— जप्त कर पंचनामा प्रपी 11, संजयदत्त शर्मा की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 12 एवं 13 बनाया। उसने गवाह अशीष, पुररूषोत्तम, संजयदत्त शर्मा, रामबाबू शर्मा, रघुराज सिंह, मुनब्बर खान, सुनीलदत्त शर्मा, गिर्राज शुक्ला, अशोक शुक्ला के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे। उसके द्वारा गिर्राज सोनी से जेवरातों का सत्यापन कराया नोटिस प्रपी 25 है।

52— साक्षी योगेन्द्र सिंह जादौन अ0सा0—16 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि उसके द्वारा एसडीएम को सूचना पत्र दिया था, पत्र प्रपी 26 है। पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा प्रपी 27 दिया था। एफएसएल से जांच करवाने हेतु उसके द्वारा ड्राफट पुलिस अधीक्षक श्योपुर के माध्यम से प्रदर्श पी—28 तैयार करवाया था। प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट प्रपी 29 एवं 30 है। मृतक उषादेवी के बैंक खाते से संबंध जानकारी के लिए उसके द्वारा पत्र प्रपी 31, 32, 33, 34 भेजे गये थे। बैंक द्वारा जानकारी प्रदर्श पी—35 दी गई। उसके द्वारा मृतिका के आभूषण की शिनाख्ती करवाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को पत्र पी—36 जारी किया था, जवाब प्रपी 37 है।

53— यदि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो साक्षी संजय दत्त ने सामान जप्ती के संबंध में बताया कि पुलिस ने थाने पर बुलाकर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रतिपरीक्षण के चरण—19 में अभियोजन कहानी को स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल देखा था। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला था। जहॉ खुदाई हो रही थी, वहॉ से 12 फीट दूर खडा था। आरोपी ने घटना कैसे कारित की, इस संबंध में बताया था। आरोपी रूपये हार गया था और मृतिका से झगडा करता था। साक्षी रामबाबू शर्मा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के चरण—9 में बताया कि आरोपी के साथ मृतिका का झगडा चलता रहता था। मृतिका का घर उसके घर से 100 फीट की दूरी पर है। आरोपी को गोद लिया था। जब एफ0डी0 की जानकारी हुई तो आरोपी मृतिका से झगडा करता था, यह चरण—12 में बताया है। साक्षी पुरूषोत्तम ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसकी आरोपी से कोई बोलचाल नहीं थी। आरोपी से उसका कोई झगडा नहीं था। आरोपी मृतिका से पैसे मांगता था, इसलिए झगडा हुआ, जो चरण—10 में बताया।

54— साक्षी गिर्राज ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी दीपक ने बताया था कि मम्मी मंदिर गई है, वापस नहीं लौटी, चरण—10 में बताया कि आरोपी ने मॉ को मारने

के संबंध में पुलिस को बताया था। लाश निकलने के बाद जगह देखी थी। साक्षी अशोक शुक्ला ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि शव बाथरूम के अंदर दबा हुआ था, जो ईंट, रेत, सीमेन्ट आदि से दबाया था। चरण–12 में बताया कि आरोपी ने बताया कि उसने हत्या की है। साक्षी सुनील दत्त ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी का उसकी मॉ से झगडा होता रहता था। जब शव निकाला तब वह बाहर बैठा था। साक्षी आशीष गर्ग ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसकी उषादेवी से कभी कभी मुलाकात होती थी। आरोपी से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। झगडे के बारे में उसे पुरूषोत्तम ने बताया था। इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि शव को बाथरूम में ईंट, रेत, सीमेन्ट आदि से दबाया गया था। आरोपी ने पुलिस के सामने घटना कारित करना बताया था। अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण से उनके मुख्य कथन का खण्डन नहीं हुआ है।

55– यदि प्रकरण की परिस्थिति पर विचार किया जावे तो न्यायदृष्टांत **ब्रजलाल घोषी विरूद्ध म.प्र. राज्य, आई.एल.आर. (2012) एम.पी. डी.बी. 1351** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई दाण्डिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि चक्षुदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तब शेष साक्ष्य बिना विचार किए नहीं छोड़ा जा सकता । दाण्डिक न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि शेष परिस्थितिजन्य साक्ष्य का निर्धारण करें जिससे सुनिश्चित हो सके कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है और ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के दोषी अथवा निर्दोष होने की धारणा की जा सकती है ।

56– मृतक की हत्या एकमात्र आरोपी के द्वारा ही कारित की गई है इस संबंध में इस प्रकरण में जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है उसमें कुछ परिस्थिति प्रकट हुई है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **शरद बिरदीचन्द सारडा विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1984 (एस.सी.) 1622** में निम्नलिखित पांच मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है :–

The following conditions must be fulfilled before a case against an accused based on circumstantial evidence can be said to be fully established :

1. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. the circumstances concerned must or should' and not 'may be' established,
2. the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, theat is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,
3. the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

4. they should exlude every possible hypothesis except the one to be porved, and
5. there must be achain of evidence so complete as not to leave nay reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

57— उक्त न्याय दृष्टान्त के आलोक में वर्तमान प्रकरण में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर यदि आरोपी की दोषिता का निर्धारण किया जाता है तो प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध निम्नलिखित परिस्थितियां दर्शित हो रही हैं :—

1. अंतिम समय में आरोपी अपनी माता के साथ घर में अकेला था।
2. आरोपी से पूछे जाने पर उसने अपनी माता को मंदिर जाना बताया।
3. आरोपी स्वयं को चिकित्सालय में इलाज के लिए जाना बताया।
4. आरोपी की निशादेही से मृतिका के जेवर और रूपये जप्त किये गये।
5. आरोपी की निशादेही से बाथरूम में मृतिका का शव, जिसे ईंट, सीमेन्ट से चुन दिया गया था, खुदाई करने पर मृतिका का शव निकला।

<u>परिस्थिति कमांक—01 लगायत 05:—</u>

58— साक्षी संजय दत्त एवं रामबाबू शर्मा ने अपने कथन में बताया कि दीपक अकेला था, किचिन और कमरे में ताले लगे थे। पूछने पर सुबह से गायब होना बताया था। आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो बार—बार बदलकर बयान दे रहा था। बाथरूम में सीलन थी। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछने पर बताया कि जब मृतिका तुलसी मैया में पानी देने छत पर जा रही थी तो आरोपी ने छत की सीढी से धक्का दिया था, सिर के बल गिने पर लोहे की रॉड से सिर पर सामने की तरफ चार—पॉच वार किये और फिर लाल साडी से गला दबा दिया। घसीटकर बाथरूम में ले जाकर ईंट से चुनकर दबा दिया था। आरोपी की निशादेही से लाश को खुदवाया और आरोपी की निशादेही से उसके मेमोरेण्डम अनुसार सोने चांदी के जेवर और रूपये जप्त किये।

59— साक्षी पुरूषोत्तम राठौर अ0सा0—04, जो कि मृतिका का किरायेदार था, उसने शाम को वापस आने पर देखा था कि बाथरूम का नल टूटा था, फर्श गीता था। रात को वापस आकर देखा तो मृतिका नहीं दिखी। तब उसने मृतिका के रिश्तेदारों को बताया, जिसका समर्थन साक्षी सुनीलदत्त शर्मा अ0सा0—07, साक्षी गिर्राज शुक्ला एवं अशोक शुक्ला ने अपने कथन में बताया कि उनके सामने आरोपी ने बताया था कि उसने धक्का दिया और सरिये से सिर में मारा, गर्दन में साडी लपेटकर फांसी लगाकर मार दिया। फिर बाथरूम में ले जाकर रेत और ईंट से चुकन दिया, बाथरूम में गाढ दिया। पुलिस ने लाश को बाथरूम से खुलवाया।

60— साक्षी राजकुमारी ने मृतिका के सोने चांदी के जेवर आर्टिकल ए—1 लगायत ए—7, आर्टिकल बी —1 लगायत बी—6 की पहचान की कि उक्त सोने चांदी के जेवर मृतिका पहनती थी। साक्षी संजय दत्त ने भी उक्त आर्टिकल मृतिका के पास होना बताये थे। साक्षी अर्जुन सिंह ने अपने कथन में बताया कि उसने राजकुमारी से सोने चांदी के जेवर की शिनाख्तगी करवाई थी तो राजकुमारी ने सही पहचाना था, जिसका मेमोरेण्डम पी—15 बनाया। उक्त जेवर साक्षी योगेन्द्र सिंह जादौन अ0सा0—16 द्वारा आरोपी के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—08 के आधार पर साक्षी संजय दत्त शर्मा और गिर्राज शुक्ला के समक्ष जप्त किये थे। उक्त जप्तशुदा जेवर मृतिका के ही थी। जो आरोपी की निशादेही से जप्त हुये हैं, यह प्रमाणित हुआ है।

61— साक्षी पुरूषोत्तम राठौर अ0सा0—04 एवं आशीष गर्ग अ0सा0—09 दोनों ने अपने कथन में बताया कि आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि मृतिका रोड तरफ चली गई और वह स्वयं अस्पताल चला गया था। दवाई का पर्चा मांगने पर आरोपी ने दाई का पर्चा नहीं बताया। जबकि मृतिका और आरोपी ही अंतिम समय साथ—साथ में मृतिका के घर पर ही थे। आरोपी मृतिका का गोद लिया हुआ पुत्र था।

62— आरोपी द्वारा प्रदर्श पी—16 की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी और उसके पश्चात् आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने जीने से धक्का दिया। सिर में लोहे के सरिये से वार किया और साडी से गले में फंदा लगाया और फिर बाथरूम में ईंट सीमेन्ट से चुनकर गाड दिया। मृतिका का शव आरोपी की निशादेही से साक्षी मनीषा मिथ की उपस्थिति में साक्षी सुभाष वाल्मीक और एक अन्य व्यक्ति से खुदवाया गया। चबूतरे को खोदने पर मृतिका का शव निकला था। साक्षी सुभाष, जिसने मृतिका के सिर में चोट क निशान देखे। गले में साडी लिपटी हुई देखी, जिसके शव निकालने का पंचनामा मनीषा मिश्रा ने बनाया, जिस पर साक्षियों ने हस्ताक्षर किये।

63— जब मृतिका घर पर अकेली थी, अंतिम बार आरोपी, जो कि उसका गोदी पुत्र था, मौके पर उपस्थित था। अंतिम बार साक्षी पुरूषोत्तम राठौर द्वारा आरोपी को देखा गया था। न्यायदृष्टांत **श्यामलाल घोष विरूद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए0आई0आर0 2012 सुको 3539** के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक बार अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति अभियोजन की ओर से प्रमाणित कर दी गई हो, तब आरोपी पर सबूत का भार आ जाता है कि वह स्पष्ट करे कि इसके पश्चात् मृतक के साथ वास्तव में क्या हुआ— यदि आरोपी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहता है, तब आरोपी के विरूद्ध दोषी होने का अनुमान निकाला जाना गलत नहीं होगा। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपी पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि जब मृतिका घर में अकेली थी, तो फिर उसने यह बहाना क्यों बनाया कि मृतिका मंदिर गई है, इसका कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण आरोपी द्वारा नहीं दिया गया है।

64— अभियुक्त कथन के दौरान भी सभी प्रश्नों के जवाब आरोपी ने

औपचारिक स्वरूप के दिये हैं। न्यायदृष्टांत आ**फताब अहमद अंसारी विरूद्ध उत्तरांचल राज्य (2010) 2 एस0सी0सी0 583** में यह बताया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में आरोपी के द्वारा उसके विरूद्ध प्रमाणित एवं अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते हुए केवल साधारण इन्कार आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य की अतिरिक्त कडी होगी। इसी प्रकार का मत **इन रेफरेन्स विरूद्ध मोहम्मद शफी उर्फ मुन्ना आई0एल0आर0 (2010) एम0पी0 2405** में दिया गया है, जिसमें यह बताया है कि दोषारोपण करने वाली किसी परिस्थिति बावत् कोई स्पष्टीकरण न देना या मिथ्या स्पष्टीकरण देना, उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य प्रकरण में अतिरिक्त श्रंखला होगी। इसी प्रकार का मत न्यायदृष्टांत **श्रीमती ज्ञानीबाई विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य आई0एल0आर0 (2011) एम0पी0 2029, नील कुमार इलियास अनिल कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2012) 5 एस0सी0सी0 766** के प्रकरण में यह मत व्यक्त किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में आरोपी पर यह दायित्व है कि उसके विरूद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के बावत स्पष्टीकरण दे, केवल चुप रहने और सामान्य इन्कार करने की स्थिति में आरोपी के विरूद्ध अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रंखला मानी जा सकती है। उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी इस प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रंखला के अंतर्गत संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि मृतिका के साथ अंतिम समय में आरोपी घर पर था।

65— आरोपी के मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामा, जिसके साक्षी संजय दत्त शर्मा एवं गिर्राज शुक्ला ने अपने कथनों में आरोपी की निशादेही से मृतिका के सोने चांदी के जेवर, जो क्रमशः सोने की झुमकी एक जोडी, सोने की तीन अंगूठी दो लेडिज एक जेन्टस, सोने के टॉप्स एक जोडी, सोने की एक चैन, सोने के दो लोंग, सोने की एक नसेनी, सोने की एक नथ, चांदी की रकम, चार सिक्के, दो जोडी पायजेब, तुलसी की माला एक, मूर्ति माता की, एक पाथरी, चांदी की बिछिया, जो मृतिका पहनती थी, जिसे साक्षी राजकुमारी एवं साक्षी संजय दत्त शर्मा देखते थे। साक्षी राजकुमारी ने शिनाख्ती में सही पहचानी। शिनाख्ती की कार्यवाही अर्जुन सिंह भदौरिया द्वारा करवाई गई। सोने चांदी के जेवरों की पहचान कि वे सोने चांदी के जेवर ही थी, साक्षी विकास सोनी द्वारा की गई, साक्षी योगेन्द्र सिंह द्वारा जप्त किये गये थे। इससे स्पष्ट प्रमाणित हुआ है कि मृतिका के सोने चांदी के जेवर, रूपये आरोपी के आधिपत्य से जप्त हुये हैं।

66— आरोपी की निशादेही से बाथरूम के अंदर से मृतिका का शव, जो कि उसके द्वारा ईंट,सीमेन्ट से चुन दिया गया था, पुलिस अधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने साक्षी मनीषा मिश्रा तहसीलदार की उपस्थिति में मजदूरों से खुदवाया गया, जिसे मजदूर साक्षी सुभाष वाल्मीक ने स्वीकार किया। आरोपी द्वारा बताये गये स्थान से शव बरामद हुआ। आरोपी द्वारा मृतिका के गुमने की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। जिस स्थान से शव बरामद हुआ, वह एक मात्र आरोपी एवं मृतिका के आधिपत्य में था। अंतिम समय आरोपी मृतिका के साथ था। मृतिका के विसरा का परीक्षण कराये जाने पर मृतिका के विसरा में कोई विष के लक्षण नहीं थे। चिकित्सक डॉ0 संजय कुमार मंगल के

पैनल द्वारा मृतिका का परीक्षण करने पर मृतिका को मृत्यु पूर्व सिर में जो चोटें आई थी,उसके कारण मृतिका की मृत्यु हुई थी,जिस लोहे के सरिये से मृतिका के सिर में आरोपी द्वारा चोट पहुॅचाई गई थी, वह सरिया आरोपी की निशादेही से साक्षी कमलेन्द्र सिंह द्वारा जप्त किया गया।

67— आरोपी द्वारा मृतिका की मृत्यु इस कारण की गई कि साक्षी योगेन्द्र सिंह जादौन के कथन अनुसार मृतिका के बैंक खाते में पी—35 की जानकारी अनुसार 31,02,654/— रूपये जमा थे और मृतिका का नॉमिनी आरोपी ही था, जो आरोपी को प्राप्त होने थे। आरोपी उक्त रूपये लेने के लिए मृतिका से झगडा करता था। आरोपी के पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी थी,उनकी भी एफडी के रूपये मृत्यु के पश्चात् आरोपी को प्राप्त हुये थे, जो उसने शेयर मार्केट में खर्च किये थे। पुनः मृतिका से रूपये प्राप्त करना चाहता था। मृतिका रूपये नहीं दे रही थी, इस कारण आरोपी द्वारा मृतिका को जीने से धक्का देकर गिराया, फिर लोहे की रॉड से मृतिका के सिर में चोटें पहुॅचाई गई पश्चात में साडी का फंदा बनाकर गले में डाला गया और शव को छिपाने के लिए बाथरूम में ईंट सीमेन्ट से चुनकर गाड दिया।

68— यह महत्वपूर्ण है कि आरोपी के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अंतर्गत उपरोक्त विवेचना के अनुसार जो भी परिस्थितियॉ प्रमाणित हुई है। उक्त अखंडित साक्ष्य के संबंध में आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **बलविन्दर सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य एआईआर 1987 सुको 350, अशोक कुमार चटर्जी विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एआईआर 1990 सुको 1890** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मामला स्पष्ट रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहॉ दोष का अनुमान तभी न्यायोचित हो सकता है, जब अपराध में फंसाये जाने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियॉ अभियुक्त की निर्दोषिता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष से अप्रतियोगी होना पाई जाती है।

69— परिस्थितियॉ जिनमें आरोपी के दोष के संबंध में अनुमान निकाला जाता है तो युक्तियुक्त संदेह से परे साबित की जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से निकाले जाने के लिए इप्सित प्रमुख तथ्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के लिए दर्शित की जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत **भगतराम विरूद्ध पंजाब राज्य एआईआर 1954 सुको 621** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मामला परिस्थितियों से निकाले गये निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहॉ परिस्थितियों का समुच्चयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की निर्दोषिता को अमान्य करे और दोष को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे।

70— इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धी एक मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित की जा सकती है, किन्तु जहॉ परिस्थिति प्रथम दृष्टया रूप से साबित हो जाती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **सी0 चेंगारेडडी एवं अन्य विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (1996) 10 एस0सी0सी0 193** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में स्थापित विधि यह है कि परिस्थितियॉ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, पूर्ण रूप से साबित की जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियॉ निश्चायक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त साबित परिस्थितियॉ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से संगत होनी चाहिए और पूर्ण रूप से उसकी निर्दोषिता से असंगत होना चाहिए........।

71— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि किसी भी चश्मदीद साक्षी द्वारा आरोपी को मृतिका को जीने से धक्का मारते हुए सिर में सरिये से वार करते हुए, साडी से फंदा बनाकर गला घोटकर जीने के नीचे बाथरूम में ईंट, सीमेन्ट से चुनना, किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा है। यह सही है कि मौके पर कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं था। किन्तु यह निर्विवाद रूप से तथ्य प्रमाणित हुआ है कि आरोपी को मृतिका एवं उसके पति ने अनाथाश्रम से जब वह एक साल का बालक था, तब गोद लिया था। अपना पुत्र बनाकर उसका लालन पालन किया, पढाया लिखाया। मृतिका के पति ने सेवानिवृत्ति के रूपये में आरोपी को नॉमिनी बनाया। उनकी मृत्यु के पश्चात् आरोपी द्वारा उक्त 16—17 लाख रूपये शेयर मार्केट में गंवाये। मृतिका के नाम से जो एफडी थी, जिसमें आरोपी नॉमिनी था। उसे प्राप्त करने के लिए आरोपी ने मृतिका से झगडा किया, नहीं देने पर मृतिका को जीने से धक्का दिया। जब मृतिका नीचे गिर गई तो मृतिका के सिर में सरिये से एक से अधिक वार कर मृत्यु कारित की। उसके पश्चात मृतिका की साडी से मृतिका का गला घोंटा और मृतिका को जीने के नीचे बने बाथरूम में रखकर ईंट सीमेन्ट से चुनकर चबूतरा बना दिया। स्वयं ही मृतिका की गुमशुदगी दर्ज करवाई। आरोपी की निशादेही से मृतिका के जेवर और रूपये जप्त किये गये। परिस्थिति की सम्पूर्ण चैन आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित हुई है।

72— अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है, जिसके आधार पर यह माना जाये कि आरोपी का कृत्य संहिता की धारा 299 अथवा 300 के अपवाद 1,2,3 या 4 की परिधि में आता है। धारा 300 के अपवाद 1 के लिए अपराधी द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो, होना आवश्यक है। जबकि अपवाद 2 के लिए शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सदभावनापूर्वक प्रयोग में लाया जाना आवश्यक है। अपवाद 3 के लिए लोकसेवक या उसकी मदद, जबकि वह लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा हो, से संबंधित है। और अपवाद 4 अचानक झगडा जनित आवेश की तीवृता में हुई लडाई में पूर्व चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो, आवश्यक है।

73— अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी के आधिपत्य से मृतिका के सोने चांदी के जेवर और रूपये प्राप्त हुये हैं। आरोपी अपनी माता उषाबाई का नॉमिनी था और उषाबाई के बैंक खाते में एफडी के रूप में 32 लाख के लगभग राशि एवं बचत खाते की राशि प्राप्त करने के लिए मृतिका उषा से झगडा किया और

राशि नहीं मिलने पर मृतिका को जीने से धक्का देकर, सिर में सरिये से एक से अधिक संख्या में उपहति कारित कर, साडी से गला घोंटकर और बाथरूम में ईंट सीमेन्ट से चुनकर मृतिका उषाबाई की मृत्यु कारित की। चिकित्सक डॉ0 संजय कुमार मंगल के पैनल द्वारा मृतिका का पीएम करने पर मृतिका की मृत्यु का कारण सिर में चोटें, तिल्ली का फटा पाया जाना और कोमा के कारण हुई थी। उक्त चोटें मृत्यु पूर्व की थीं। मृतिका को जितनी भी चोटें आई, वे स्वयं द्वारा नहीं पहुॅचाई जा सकती। दूसरे व्यक्ति द्वारा पहुॅचाई गई थीं। निश्चित रूप से आरोपी द्वारा उक्त रूपये प्राप्त करने हेतु आशय पूर्वक मृतिका की मृत्यु कारित की थी। रूपये प्राप्त करने के लिए ही आरोपी का आशय मृतिका की मृत्यु कारित करना था। आरोपी के मेमोरेण्डम और उसकी निशादेही से सोने चांदी के जेवर, रूपये घटना में उसके द्वारा पहने हुये कपडे टीशर्ट, लोअर, जिस लोहे के सरिये से मृतिका के सिर पर चोट पहुॅचाई गई, वह सरिया तथा जिस स्थान पर मृतिका को ईंट सीमेन्ट से चुन दिया गया था, आरोपी की निशादेही से उक्त स्थान खोदा गया, जहॉ से मृतिका का शव बरामद हुआ। शव को साक्षियों द्वारा देखे जाने पर मृतिका के सिर में चोट के निशान थे, साडी से गला घोंटा हुआ था। उक्त समस्त परिस्थितियॉ और तथ्य आरोपी के विरूद्ध है। अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध परिस्थितियों की जो चैन बनाई गई वे एक दूसरे से सशक्त हैं। अभियोजन की उक्त परिस्थितियों की चैन में कोई कडी कमजोर नहीं है। अभियोजन साक्षीगण के कथन भी स्पष्ट एवं विश्वसनीय है। इन सब परिस्थितियों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आरोपी दीपक द्वारा मृतिका उषाबाई के रूपये प्राप्त करने हेतु मृतिका को जीने से धक्का देकर नीचे गिराया, सरिये से मृतिका के सिर पर एक से अधिक बार वार किया, फिर मृतिका की साडी से उसका गला घोंटा, मृतिका का शव छिपाने के लिए जीने के नीचे बने बाथरूम में मृतिका को रखकर ईंट सीमेन्ट से चुनकर चबूतरा बना दिया। हत्या की साक्ष्य को छिपााया गया तथा मृतिका के संबंध में पूछे जाने पर मृतिका को मंदिर जाना बताया और फिर मृतिका की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि आरोपी दीपक ने अपनी माता उषाबाई की मृत्यु कारित कर उसके शव को छिपाकर साक्ष्य को विलोपित किया।

74— परिणामतः आरोपी दीपक को धारा 302, 201 भादवि के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाकर दोषसिद्ध होना करार देती है और सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय इस स्टेज पर स्थगित किया जाता है। सही/

(एल0डी0 सोलंकी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर म0प्र0

75— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी नवयुवक हैं। आरोपी विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी साबित नहीं है। अतः उसे

कम से कम दण्ड से दंडित किया जावे।

76— दूसरी ओर राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी ने हत्या का अपराध कारित किया है। इसलिए घटना की स्थिति पर विचार करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जावे।

77— प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा अपनी माता उषाबाई को जीने से धक्का देकर नीचे गिराया गया, फिर सरिये से उसके सिर में एक से अधिक बार वार किया गया, साडी से गला घोंटकर बाथरूम में शव को ईंट सीमेन्ट से चुनकर चबूतरा बना दिया और साक्ष्य को विलोपित किया। आरोपी द्वारा यह जानते हुए कि वह अपनी माता का नॉमिनी है और माता की मृत्यु के पश्चात् उसे समस्त राशि मिलना है। जेवर और रूपये प्राप्त करने के लिए बडे ही निर्मम तरीके से अपनी माता को मारकर हत्या की है। ऐसी स्थिति में आरोपी किसी भी दया का पात्र नहीं है। अपराध एक नृशंस प्रकृति का है।

78— हिन्दू धर्मगृन्थ रामचरित मानस में जब श्रीराम को माता कैकयी के वचन के आधार पर पिता दशरथ द्वारा 12 वर्ष वनवास के लिए भेजा गया तब श्रीराम द्वारा कहा गया था, जो रामचरित मानस के अयोध्याकाण्ड में यह चौपाई लेख है :—

सुनु जननी सोइ सुतु बडभागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी।।

तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुलर्भ जननी सकल संसारा।।

अर्थात् श्रीराम अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माता सुनो वहीं पुत्र बडभागी है,जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। रामायण के एक प्रसंग में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थों की यात्रा करवाता है।

79— गुरूगृन्थ साहिब में भी अंग—262, 371, 920, 403,1328 एवं 496 में यह लेखा है कि ***मात पिता की सेवा करही, अपना गति भित्ती जाणी। मात पिता को वीरा कहे वीर बिना कुल कैसे चले। मात पिता की आज्ञा सिर धरे, मात पिता की राखी करे। दयाल दया करे, जिसु माता का झोला निबालिया। सो दिनु मुठे भुलाणे।*** *अर्थात्* जो माता पिता की सेवा करता है, वही सच्चा वीर कहलाता है, ऐसे वीर के बिना वंश कैसे चल सकता है। माता पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करता है, जिस मॉ की गोद में तू खेला था, उस दिन को हे मूर्ख तू अब भूल गया है।

80— **कुरान के सुर अल इसरा आयात 23 में लिखा है कि *तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न करो और मॉ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढापे को पहुॅच जाये तो उन्हें उह तक न कहो और न उन्हें झिझको बल्कि उनसे शिष्टतापूर्वक***

बात करो।

81— ***बाईबिल में संतमैथी अध्याय 15 वाक्य संख्या 4 में यह लिखा है कि ईश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे, उसे प्राणदण्ड दिया जाये। निर्गम गृन्थ अध्याय–21 वाक्य संख्या 15, 16 में यह लिखा है कि जो अपने माता या पिता पर आघात करेगा, उसे प्राणदण्ड दिया जायेगा। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे, उसे प्राणदण्ड किया जावेगा।***

82— उक्त सभी धर्म गृन्थों में माता पिता की सेवा और बुढापे तक संतान को माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मांछीसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य एआईआर 1983 एस0सी0 957** में जो उदाहरण सिद्धांत हत्या के मामलों में दण्ड के लिए प्रतिपादित किये गये हैं, उसका अवलोकन किया जावे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय चरण–32 में प्रतिपादित सिद्धांत में पीडित का व्यक्तित्व का खण्ड– 5 में असहाय महिलाओं की हत्या के मामले में विरल से विरलतम माना गया है और इस प्रकरण में भी एक असहाय माता की हत्या पुत्र द्वारा की गई है।

83— न्यायदृष्टांत **राजेन्द्र प्रसाद राव वास्निक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य(2014) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 37** में विधि सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए मार्गदर्शन दिया है कि अपराध को गंभीर बनाने वाली परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को न्यून करने वाली परिस्थितियॉ क्या–क्या हो सकती हैं, उक्त दृष्टि से विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा जेवर और रूपयों के लालच में मृतिका को जीने से धक्का दिया, उसके सिर में लोहे की रॉड से कई बार मारा, जिससे सिर की हडडी दिखाई दी, नाक की हडडी टूट गई, फटे हुए घाव हुये, हडिडयों में चोट आई, मृत्यु सिर में चोटें और तिल्ली फटने के कारण हुई। आरोपी द्वारा साडी से गला घोंटा और फिर शव को बाथरूम में ईंट सीमेन्ट से चुन दिया। अपराध को छिपाने के लिए गुमशुदगी दर्ज करवाई गई।

84— जिस पर माता पिता की रक्षा का दायित्व होता है, जो माता पिता के बुढापे का सहारा होता है वही यदि **रक्षक ही भक्षक** बन जावे तो फिर माता पिता उस संतान का लालन–पालन क्यों करेंगे। यदि **बागड ही खेत खाने लग जाये** तो फिर किसान किस पर विश्वास करेगा। आरोपी के विरूद्ध नरम रूख अपनाया गया तो कोई भी निःसंतान माता पिता किसी भी अनाथ बालक को गोद नहीं लेगे और समाज में काफी विपरीत प्रभाव होगा। इस तरह मेरे मत में यह मामला न्यायदृष्टांत **माछीसिंह (पूर्वोक्त)** के मार्गदर्शन के अनुसार मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है।

85— अतः आरोपी के प्रति नरम रूख अख्तियार किया जाना उचित नहीं पाता

हूँ। अतः आरोपी दीपक पिता भुवनेन्द्र पचौरी को धारा 302 भादवि में अपनी माता उषादेवी की हत्या के लिए मृत्युदण्ड से दंडित किया जाता है उसे गर्दन में फॉसी लगाकर तब तक लटकाया जावे, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जावे एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 201 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर प्रत्येक धारा में छह–छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे। आरोपी को दी गई सजायें साथ–साथ भुगताई जावे। आरोपी की उक्त अवधि को सजा में समायोजित किये जाने हेतु सेट ऑफ प्रमाणपत्र तैयार कर सजा वारंट एवं सेट ऑफ प्रमाणपत्र के साथ उक्त आरोपी को जिला जेल, श्योपुर भेजा जावे।

86– मृत्युदण्ड का दण्डादेश माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रेफरेन्स के निराकरण के बाद ही निष्पादित किया जावे और इस हेतु प्रकरण तत्काल माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की ओर प्रेषित किया जावे।

87– आरोपी इस मामले में पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 09.05.2024 को रहा एवं न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 10.05.2024 से आज दिनांक 23.07.2025 तक रहा है। उक्त निरोध अवधि में सजा की अवधि में समायोजित की जावे।

88– प्रकरण में जप्तशुदा मुददेमाल सोने चांदी के जेवर और रूपये मृतिका के उत्तराधिकारी को अपील अवधि पश्चात् लौटाये जावे। प्रकरण में जप्तशुदा आरोपी के कपडे, सरिया, मृतिका के विसरा, सीलबंद पोटली में मृतिका के कपडे, सादा मिटटी, खून आलूदा मिटटी, आरोपी की सेण्डल, कॉटन, सील नमूना आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

89– आरोपी को इस निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान कर पावती ली जावे।

90– इस निर्णय की एक निःशुल्क प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट, श्योपुर को विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/

(एल0डी0 सोलंकी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर म0प्र0

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/

(एल0डी0 सोलंकी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर म0प्र0

LILADHAR SOLANKI

Digitally signed by LILADHAR SOLANKI
Date: 2025.07.23 15:05:18 +0530